भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2113
दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों का निर्माण

2113. श्री अजय कुमार मंडल:
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भागलपुर एवं सोनीपत संसदीय क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण लोगों को चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अस्पतालों के निर्माण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार का उक्त परियोजना में कार्य की धीमी गति के लिए संबंधित निर्माण कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उक्त निर्माण कंपनियों पर कितना जुर्माना लगाया गया है;
(ड) क्या उक्त परियोजना में की गई पार्किंग व्यवस्था आवश्यकता के अनुरूप नहीं है जिससे भविष्य में मुख्य सड़क पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है;
(च) क्या निर्माण गति क्षेत्र से पहले कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) इन अस्पतालों के कब तक पूरी तरह कार्यशील होने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री(डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (छ): प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत केन्द्र और राज्य के बीच क्रमश: 60:40 के अनुपात में लागत हिस्सेदारी के आधार पर 200 करोड़ रुपए की कुल अनुमोदित लागत पर पीएमएसएसवाई के चरण-IV में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) की स्थापना के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, भागलपुर के उन्नयन को मंजूरी दी गई थी।सीपीडब्ल्यूडी द्वारा सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य अप्रैल, 2023 में पूरे कर लिए गए हैं। परियोजना के स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए कर्मचारियों का संचालन और भर्ती राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

पीएमएसएसवाई के अंतर्गत सोनीपत में एसएसबी के निर्माण के लिए कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

*****